न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 364/18

सरकार बनाम श्री:- उमेद सिंह पुत्र सम्पत सिंह जाति राजपूत

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 26/2/18

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री उमेद सिंह पुत्र श्री सम्पत सिंह जाति राजपूत निवासी कोठड़ा तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रबि / खरीफ मे ग्राम कोठड़ा की राजकीय आराजी खसरा नं. 340,342 रकबा 144+10 m^2 किस्म गै.मु.आबादी भूमि से 154 m^2 रकबा पर अनाधिकृत रूप से पुख्ता निर्माण कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ । अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नही किया गया । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अत: अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.98 का 50 गुना 142 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)
महवा जिला दौसा

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 130 पर
वर्ष 2017-18 ... नीलामी
की राशि ... 142 रु.
की जमा कायमी की गई
दिनांक 26/2/18 तहसील ... लेखाकार
तहसील-महवा